# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 57/2023
RMS NO. : 2023/115

| –: वादीगण :– | बनाम | –: प्रतिवादीगण :– |
|---|---|---|
| 1. जशोदा पत्नी रामचन्द्र<br>2. जमना पत्नी देवाराम<br>3. गणपत पुत्र देवाराम<br>4. पवन पुत्र देवाराम<br>5. गीता पुत्री देवाराम जातियान घांची निवासीगण जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान। | | 1. रामचन्द्र पुत्र पेमाराम जाति घांची निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज.। (विलोपित)<br>2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला ब्यावर।<br>3. किशनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति घांची निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज.। |

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–04.05.2023

उपस्थित:–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, श्री अब्दुल जब्बार, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 02/02/2026

वकील मय वादीगण नें एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती पैतृक पुश्तैनी सम्पति सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे स्थित खसरा नम्बर 251/10 रकबा 0.7284 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/13 रकबा 0.7284 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/16 रकबा 0.2266 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/19 रकबा 0.4128 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/1 रकबा 0.3642 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/10 रकबा 2.2420 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/4 रकबा 0.3237 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/7 रकबा 0.1376 हैक्टयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 5.1637 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम इन्द्राज है परन्तु उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जो प्रतिवादीगण संख्या 1 को उसके दादा पिता से बतौर वारिसान के रूप मे प्राप्त हुई है और वादीगण जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 की पत्नी, पुत्रवधु व पौत्र, पौत्री है जिनका उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी सम्पति मे माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के माफिक वादीगण को बाई बर्थ अर्थात जन्मत: हक अधिकार प्राप्त है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही दादा परदादा की संतान है। उपरोक्त वर्णित वंश वंशावली के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही दादा परदादा पेमा के वारिसान है तथा वादग्रस्त सम्पति जो कि पूर्व मे पेमा के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज थी अर्थात सेटलमेन्ट के समय उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पति पेमा के नाम थी और पेमा के फौत होने के पश्चात फौतेदगी म्युटेशन के जरिये विरासत के रूप मे उनके वारिसान को प्राप्त हुई और उसी विरासत के अनुरूप प्रतिवादीगण संख्या 1 रामचन्द्र का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ था। नकल जमाबन्दी

02/02/26
(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

संवत 2016 से लगायत वर्तमान तक वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी जो पेमा के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज थी और जिसका अंकन वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दीयो से स्पष्ट है और पेमा के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान को हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत विरासत के रूप मे प्राप्त हुई इस प्रकार वादग्रस्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने से वादीगण का स्वतः ही उनके हक हिस्से अनुसार हक अधिकार जन्म से ही निहित हो जाते है और प्रतिवादीगण जो कि पेमा का वारिस है और वारिस के रूप मे विरासत का जो म्युटेशन हुआ उसके अनुसार उसका नाम इन्द्राज हुआ लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 रामचन्द्र उक्त सम्पति का अपने जीवनपर्यन्त उसका उपयोग उपभोग कर सकता है लेकिन पैतृक पुश्तैनी सम्पति को वादीगण एवं अन्य परिवार के सदस्यो की बिना अनुमति व सहमति के किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत खूद्र बुर्द आदि नही कर सकता है क्योकि वादग्रस्त सम्पति जो कि पुश्तैनी सम्पति है और पुश्तैनी सम्पति होने से रामचन्द्र के जो भी उतराधिकारी है उन सभी का इस सम्पति मे हक अधिकार कानूनन निहित है। वादग्रस्त सम्पति जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पुश्तैनी सम्पति है परन्तु वादीगण के दादा परदादा पेमाराम जी के फौत होने के पश्चात विरासत के रूप मे रामचन्द्र को उक्त सम्पति प्राप्त हुई तथा सम्पति पुश्तैनी होने से रामचन्द्र ने दिनांक 16/02/2022 को वादीगण एवं अन्य परिवार के सदस्यो के बीच मे एक लिखित पारिवारिक प्रबन्ध अर्थात आपसी बंटवाडा तकमील किया था और जिसमे वादीगण को उनके हक हिस्से की सम्पति जरिये पारिवारिक बंटवाडा के अनुरूप देने का इकरार किया और पारिवारिक बंटवाडे को नोटेरी से तस्दीक भी करवाया। रामचन्द्र ने अपनी प्रथम पत्नी वादीगण संख्या 1 के जीवित रहते दुसरी शादी की थी लेकिन कानूनन दुसरी पत्नी का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में उसे कोई सम्पति प्राप्त नही हो सकती है इसलिए उसका उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी सम्पति मे कोई हक अधिकार निहित नही होते है और अन्य जो रामचन्द्र जी के वारिसान है उसको लिखित पारिवारिक बंटवाडे के आराजी देने का फैमिली सेटलमेन्ट कर लिया लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या 01 की नियत मे खोट आ गई और वह वादीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित करना चाहता है तथा फैमिली सेटलमेन्ट के तहत वादीगण को जो सम्पति देने का लिखित किया उससे भी अब प्रतिवादीगण संख्या 1 मुकर्रर गया और वादग्रस्त सम्पत को अब रहन बेचान बक्सीस करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 को सम्पति वादग्रस्त सम्पति को खूर्द बुर्द रहन बेचान करने का कानूनन हक अधिकार नही है क्योकि वादग्रस्त सम्पति प्रथमतया पैतृक पुश्तैनी सम्पति है और दुसरा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने स्वयं ने यह स्वीकार किया और फैमिली सेटलमेन्ट तकमील किया जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त सम्पति मे वादीगण का हक अधिकार निहित है प्रतिवादीगण संख्या 1 जिसका कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज है और नाम इन्द्राज होने से वह उक्त सम्पति को किसी अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पति जो कि पैतृक पुश्तैनी सम्पति है और प्रतिवादीगण सख्या 1 को विरासत के रूप मे उक्त सम्पति प्राप्त हुई परन्तु वादीगण का भी पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे इतना ही हक अधिकार है जितना कि प्रतिवादीगण संख्या 1 का है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 परिवार का मुखिया

02/02/26
(मनोज कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

है और स्वर्गीय पेमाराम जी का पुत्र है इसलिए विरासत के रूप मे उसका नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हुआ और राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज होने मात्र से अब प्रतिवादीगण संख्या 1 उक्त पुश्तैनी सम्पति को खूर्द बुर्द करने एवं बेचान करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ने फेमिली सेप्टलमेन्ट भी कर दिया और अब फैमिली सेप्टलमेन्ट को दरकिनार करते हुए अजनबी व्यक्ति को उक्त वादग्रस्त सम्पति का बेचान कर रहा है यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 अपने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाता है और वादग्रस्त सम्पति किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देता है कि वादीगण अपने पैतृक पुश्तैनी जायज हक अधिकारो से हमेशा के लिये महरुम हो जायेंगे। वादीगण के पास अन्य कोई सम्पति नही है और यदि प्रतिवादीगण अजनबी केता के साथ मिलकर वादीगण को इनकी पुश्तैनी सम्पति से बेदखल कर देते है तो वादीगण अपने साम्पैतिक अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे और वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भी किसी कदर संभव नही है। इसलिए वादीगण के पास अब कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादीगण के पक्ष मे दिनांक 16/02/2022 को फैमिली सेप्टलमेन्ट कर दिया और वादग्रस्त सम्पति जो कि पुश्तैनी सम्पति है तो इस प्रकार वादग्रस्त सम्पति मे वादीगण का कानूनन हक अधिकार निहित है लेकिन दिनांक 08/04/2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ने वादीगण को मौके से बेदलख करने की ऐलानिया धमकी दी एवं वादग्रस्त सम्पति को किसी अन्य को रहन बेचान बक्सीस करने पर आमादा हुआ जब वादीगण ने फैमिली सैटलमेन्ट एवं पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने का निवेदन प्रतिवादीगण संख्या 1 से किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुए फैमिली सैटलमेन्ट को मानने से इन्कार कर दिया एवं वादीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे हक हिस्सा देने से भी स्पष्ट मना कर दिया अब यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे केवल मात्र नाम इन्द्राज होने के आधार पर उक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति को किसी अन्य को रहन बेचान कर देता है वादीगण को मौके से बेदखल कर देता है तो वादीगण हमेशा हमेशा के लिये अपने जायज हक अधिकारो से महरुम हो जायेगे और वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का विरोध करेगे तो मौके पर लडाई झगडे होने, मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स् बढेगी विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। इसलिए इन सब विवादो से बचने के लिये वादीगण की और से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 2 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है इसलिए उक्त वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है जबकि तहसीलदार जैतारण जो कि सरकार के प्रतिनिधि होने से उनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है नोटिस देने में समय लगेगा इसलिए उस समय को एवं नोटिस को डिस्पेन्सविथ करते हुए वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत अनुमति दिलावे और अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय वाद दिनांक 16/02/2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा वादीगण एवं अन्य परिवार के सदस्यो के पक्ष में फैमिली सेप्टलमेन्ट तकमील करने एवं उसके पश्चात दिनांक 08/04/2023 को वादीगण को मौके से बेदखल करने एवं वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने की धमकी देने

( मनोज कुमार मीणा RAS )
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण ( ब्यावर )

पर बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादीगण की इस्तदुआ निम्न है- डिकी व निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फंरमाई जावे कि वादपत्र के पद संख्या एक मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 251/10 रकबा 0.7284 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/13 रकबा 0.7284 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/16 रकबा 0.2266 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/19 रकबा 0.4128 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/1 रकबा 0.3642 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/10 रकबा 2.2420 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/4 रकबा 0.3237 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/7 रकबा 0.1376 हैक्टयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 5.1637 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम जो कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने से एवं वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी मे बाई बर्थ जंन्मतः हक अधिकार एवं हिस्सा निहित होने से वादीगण को माफिक हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वादीगण को भी प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ माफिक हिस्से अनुसार नाम इन्द्राज कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जावे तथा साथ ही वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर ह़ाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की कोई दखल व दस्तन्दाजी नही करे एवं न ही पैतृक पुश्तैनी संयुक्त सामलाती भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करे तथा न ही किसी प्रकार से कृषि भूमि में अकृषि कार्य करे व न ही खूर्द बुर्द करे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को रोका जावे एवं वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को भी मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर अधिवक्ता देवाराम कटारिया तथा प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता अब्दुल जब्बार ने वकालतनामा पेश किया, जो सामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या संख्या 01 व 03 तथा वादीगण ने तहरीरी राजीनामा पेश किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। उपरोक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 ने राजीनामा में कथन किया कि राजीनामा हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे स्थित जिसका वर्णन वादपत्र के पद संख्या एक मे उल्लेखित है बाबत् राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर तथा मौजिज व्यक्तियो की समझाईस से निम्न अनुसार राजीनामा कर लिया है कि खसरा नम्बर 251/10 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 252/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा जिसमे से 3 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 19/06/2023 को बेचान कर दी। शेष भूमि में से 2 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र ने स्वयं के लिये रखी तथा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल के हिस्से मे दी। खसरा नम्बर 251/13 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 252/4 रकबा 2 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसमे से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल के हिस्से मे दी व 3 बीघा भूमि वादी संख्या 1 से 5 के हिस्से में दी। खसरा नम्बर 251/16 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 252/7

( मनोज ... RAS )
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण ( ब्यावर )

रकबा 17 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा वादीगण संख्या 1 से 5 के हिस्से मे दी। खसरा नम्बर 251/19 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 252/10 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा में से 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल के हिस्से मे दी व 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादीगण संख्या 1 से 5 के हिस्से मे दी। उपरोक्त अनुसार राजीनामा के जरिये वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ने राजीनामा कर लिया है उपरोक्त राजीनामा के अनुसार जरिये राजीनामा वादपत्र डिकी फरमावें। वकील वादी ने वादपत्र के समर्थन में वादी संख्या 03 गणपत पुत्र देवाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किए गए। वादीगण संख्या 03 के बयान व दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध हस्तगत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती पैतृक पुश्तैनी सम्पति सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे स्थित खसरा नम्बर 251/10 रकबा 0.7284 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/13 रकबा 0.7284 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/16 रकबा 0.2266 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/19 रकबा 0.4128 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/1 रकबा 0.3642 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/10 रकबा 2.2420 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/4 रकबा 0.3237 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/7 रकबा 0.1376 हैक्टयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 5.1637 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम इन्द्राज है परन्तु उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जो प्रतिवादीगण संख्या 1 को उसके दादा पिता से बतौर वारिसान के रूप मे प्राप्त हुई है और वादीगण जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 की पत्नी, पुत्रवधु व पौत्र, पौत्री है जिनका उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी सम्पति मे माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के माफिक वादीगण को बाई बर्थ अर्थात जन्मतः हक अधिकार प्राप्त है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही दादा परदादा पेमा की संतान है। वादग्रस्त सम्पति जो कि पूर्व मे पेमा के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज थी अर्थात सेटलमेन्ट के समय उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पति पेमा के नाम थी और पेमा के फौत होने के पश्चात फौतेदगी म्युटेशन के जरिये विरासत के रूप मे उनके वारिसान को प्राप्त हुई और उसी विरासत के अनुरूप प्रतिवादीगण संख्या 1 रामचन्द्र का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ था। प्रतिवादीगण संख्या 1 रामचन्द्र उक्त सम्पति का अपने जीवनपर्यन्त उसका उपयोग उपभोग कर सकता है लेकिन पैतृक पुश्तैनी सम्पति को वादीगण एवं अन्य परिवार के सदस्यो की बिना अनुमति व सहमति के किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत खुर्द बुर्द आदि नही कर सकता है क्योकि वादग्रस्त सम्पति जो कि पुश्तैनी सम्पति है और पुश्तैनी सम्पति होने से रामचन्द्र के जो भी उतराधिकारी है उन सभी का इस सम्पति मे हक अधिकार कानूनन निहित है। वादग्रस्त सम्पति जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पुश्तैनी सम्पति है परन्तु वादीगण के दादा परदादा पेमाराम जी के फौत होने के पश्चात विरासत के रूप मे रामचन्द्र को उक्त सम्पति प्राप्त हुई तथा

02/02/26
(मनीष कुमार मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सम्पति पुश्तैनी होने से रामचन्द्र ने दिनांक 16/02/2022 को वादीगण एवं अन्य परिवार के सदस्यो के बीच मे एक लिखित पारिवारिक प्रबन्ध अर्थात आपसी बंटवाडा तकमील किया था और जिसमे वादीगण को उनके हक हिस्से की सम्पति जरिये पारिवारिक बंटवाडा के अनुरुप देने का इकरार किया और पारिवारिक बंटवाडे को नोटेरी से तस्दीक भी करवाया। रामचन्द्र ने अपनी प्रथम पत्नी वादीगण संख्या 1 के जीवित रहते दुसरी शादी की थी लेकिन कानूनन दुसरी पत्नी का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में उसे कोई सम्पति प्राप्त नही हो सकती है इसलिए उसका उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी सम्पति मे कोई हक अधिकार निहित नही होते है और अन्य जो रामचन्द्र जी के वारिसान है उसको लिखित पारिवारिक बंटवाडे के आराजी देने का फैमिली सेटलमेन्ट कर लिया लेकिन अब प्रतिवादीगण संख्या 01 की नियत मे खोट आ गई और वह वादीगण को उनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित करना चाहता है तथा फैमिली सेटलमेन्ट के तहत वादीगण को जो सम्पति देने का लिखित किया उससे भी अब प्रतिवादीगण संख्या 1 मुकर्रर गया और वादग्रस्त सम्पत को अब रहन बेचान बक्सीस करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 को सम्पति वादग्रस्त सम्पति को खूर्द बुर्द रहन बेचान करने का कानूनन हक अधिकार नही है क्योकि वादग्रस्त सम्पति प्रथमतया पैतृक पुश्तैनी सम्पति है और दुसरा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने स्वयं ने यह स्वीकार किया और फैमिली सेटलमेन्ट तकमील किया जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त सम्पति मे वादीगण का हक अधिकार निहित है प्रतिवादीगण संख्या 1 जिसका कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज है और नाम इन्द्राज होने से वह उक्त सम्पति को किसी अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

2. जमाबन्दी संवत् 2077-2080 प्रदर्श-1 व जमाबंदी संवत 2073-2076 प्रदर्श 02 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 251/10 रकबा 0.7284 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/13 रकबा 0.7284 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/16 रकबा 0.2266 हैक्टयर, खसरा नम्बर 251/19 रकबा 0.4128 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/1 रकबा 0. 3642 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/10 रकबा 2.2420 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/4 रकबा 0.3237 हैक्टयर, खसरा नम्बर 252/7 रकबा 0.1376 हैक्टयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 5.1637 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम दर्ज है। एवं प्रदर्श-3 जमाबंदी संवत् 2069-2072 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 250/1 रकबा 0-10 बीघा, खसरा संख्या 251/1 रकबा 53-13 बीघा, खसरा संख्या 252/1 रकबा 45-11 बीघा किस्म बारानी दोयम सुगनलाल, रामचन्द्र, बाबुलाल पिता पेमाराम कौम घांची सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। तथा उक्त जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 3843 दिनांक 20.02.2016 द्वारा उक्त भूमि का विभाजन किया गया। प्रदर्श-4 जमाबंदी संवत 2065-2068, प्रदर्श-06 जमाबंदी संवत् 2061-2064, प्रदर्श-06 जमाबंदी संवत् 2057-2060 वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 250/1 रकबा 0-10 बीघा, खसरा संख्या 251/1 रकबा 53-13 बीघा, खसरा संख्या 252/1 रकबा 45-11 बीघा किस्म बारानी दोयम सुगनलाल, रामचन्द्र, बाबुलाल पिता पेमाराम कौम घांची सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रदर्श 07 जमाबंदी संवत् 2016-2019, प्रदर्श 08 जमाबंदी संवत् 2020-2023, प्रदर्श 09 जमाबंदी संवत् 2024-2027 वादग्रस्त आराजी पाबू नेना पिता भीका 1/2 पेमा गोरधन पिता गणेश 1/2 कौम घांची सा. देह खातेदार दर्ज

( मनोज कुमार मीणा RAS )
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, के.प.प.( ब्यावर )

। प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत् 2028-2032, प्रदर्श 11 जमाबंदी संवत् 2032-2035, प्रदर्श 12 जमाबंदी संवत् 2036-2039, प्रदर्श 13 जमाबंदी संवत् 2041-2044, प्रदर्श 14 जमाबंदी संवत् 2045-2048, प्रदर्श 15 जमाबंदी संवत् 2049-2052, प्रदर्श 16 जमाबंदी संवत् 2053-2056 वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 250/1 रकबा 0-10 बीघा, खसरा संख्या 251/1 रकबा 53-13 बीघा, खसरा संख्या 252/1 रकबा 45-11 बीघा पेमा पुत्र गणेश कौम घांची के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी में वादी गणपत पुत्र देवाराम जाति घांची द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 में वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों का समर्थन किया है।

3. चुंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करते हुये वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों एवं तथ्यों का समर्थन किया है तथा वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष से भी सहमति जाहिर करते हुये माफिक राजीनामा के वादपत्र डिक्री किए जाने का कथन किया है। माफिक राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 251/10 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 252/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा जिसमे से 3 बीघा कृषि भूमि हिस्सा 4/9 प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 19/06/2023 को बेचान कर दी। शेष भूमि में से 2 बीघा हिस्सा 8/27 कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र ने स्वयं के लिये रखी तथा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि हिस्सा 9/27 प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल के हिस्से मे दी। खसरा नम्बर 251/13 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 252/4 रकबा 2 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसमे से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि हिस्सा 7/13 प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल के हिस्से मे दी व 3 बीघा भूमि हिस्सा 6/13 वादी संख्या 1 से 5 के हिस्से में दी। खसरा नम्बर 251/16 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 252/7 रकबा 17 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण संख्या 1 से 5 के हिस्से मे दी। खसरा नम्बर 251/19 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 252/10 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा में से 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल के हिस्से मे दी व 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि हिस्सा 1/2 वादीगण संख्या 1 से 5 के हिस्से मे दी। साथ ही प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 को उक्त भूमि अपने पिता पेमा पुत्र गणेशा से विरासत में प्राप्त हुई हैं, अतः वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः अधिकार निहित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष से सहमति जाहिर कि है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर माफिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 251/10 व 252/1 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर (06-15 बीघा) में से 03-00 बीघा भूमि जरिए रजिस्टर्ड बैचान करने के उपरान्त शेष भूमि 03-15 बीघा में से खातेदार का नाम विलोपित करते हुए 02-00 बीघा भूमि में रामचन्द्र पुत्र पेमाराम व 01-15 बीघा भूमि में किशनलाल पुत्र रामचन्द्र, खसरा संख्या 251/13 व 252/4 कुल रकबा 1.0521 हैक्टर (06-10 बीघा) भूमि में से खातेदार का नाम विलोपित करते हुए 03-10 बीघा भूमि में प्रतिवादी किशनलाल व 03-00 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 01 से 05, खसरा संख्या 251/16 व 252/7 कुल रकबा 0.3642 (02-05 बीघा) भूमि में खातेदार का नाम विलोपित करते हुए सम्पूर्ण

02/02/26

( मनीष कुमार मीणा RAS )
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण ( ब्यावर )

हिस्से में वादीगण संख्या 01 से 05 तथा खसरा संख्या 251/19 व 252/10 कुल रकबा 2.6548 (16-08 बीघा) भूमि में से खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए 08-04 बीघा भूमि में प्रतिवादी किशनलाल व शेष 08-04 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 01 से 05 के नाम माफिक राजीनामा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करते हुये वादपत्र स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 251/10 व 252/1 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर (06-15 बीघा) में से 03-00 बीघा भूमि जरिए रजिस्टर्ड बैचान करने के उपरान्त शेष भूमि 03-15 बीघा में से खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए 02-00 बीघा भूमि में रामचन्द्र पुत्र पेमाराम व 01-15 बीघा भूमि में किशनलाल पुत्र रामचन्द्र, खसरा संख्या 251/13 व 252/4 कुल रकबां 1.0521 हैक्टर (06-10 बीघा) भूमि में से खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए 03-10 बीघा भूमि में प्रतिवादी किशनलाल व 03-00 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 01 से 05, खसरा संख्या 251/16 व 252/7 कुल रकबा 0.3642 (02-05 बीघा) भूमि में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए सम्पूर्ण हिस्से में वादीगण संख्या 01 से 05 तथा खसरा संख्या 251/19 व 252/10 कुल रकबा 2.6548 (16-08 बीघा) भूमि में से खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए 08-04 बीघा भूमि में प्रतिवादी किशनलाल व शेष 08-04 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 01 से 05 को माफिक राजीनामा बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 02/02/2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
## (ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : **मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0**

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. जशोदा पत्नी रामचन्द्र
2. जमना पत्नी देवाराम
3. गणपत पुत्र देवाराम
4. पवन पुत्र देवाराम
गीता पुत्री देवाराम जातियान घांची निवासीगण जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।

1. रामचन्द्र पुत्र पेमाराम जाति घांची निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज.। (विलोपित)
2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला ब्यावर।
3. किशनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति घांची निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज.।

राजस्व **वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा** **मु0न0 :- रा0वा0 स0: 57/2023**
अन्तर्गत **धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ..........-........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री अब्दुल जबार व श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 251/10 व 252/1 कुल रकबा 1.0926 हैक्टर (06-15 बीघा) में से 03-00 बीघा भूमि जरिए रजिस्टर्ड बैचान करने के उपरान्त शेष भूमि 03-15 बीघा में से खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए 02-00 बीघा भूमि में रामचन्द्र पुत्र पेमाराम व 01-15 बीघा भूमि में किशनलाल पुत्र रामचन्द्र, खसरा संख्या 251/13 व 252/4 कुल रकबा 1.0521 हैक्टर (06-10 बीघा) भूमि में से खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए 03-10 बीघा भूमि में प्रतिवादी किशनलाल व 03-00 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 01 से 05, खसरा संख्या 251/16 व 252/7 कुल रकबा 0.3642 (02-05 बीघा) भूमि में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए सम्पूर्ण हिस्से में वादीगण संख्या 01 से 05 तथा खसरा संख्या 251/19 व 252/10 कुल रकबा 2.6548 (16-08 बीघा) भूमि में से खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित करते हुए 08-04 बीघा भूमि में प्रतिवादी किशनलाल व शेष 08-04 बीघा भूमि में वादीगण संख्या 01 से 05 को माफिक राजीनामा बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **02/02/2026** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

(मनोज कुमार मीणा RAS)
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

| मुद्दई | रुपये पैसे | मुद्दायलाह | रुपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 5-00 | स्टाम्प वकालतनामा | 02-00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01-00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प उजर सबूत | / | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | | खर्चा गवाहान | / |
| खर्चा गवाहान | 1-00 | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | / | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | मुत्फरिक | |
| मिजान:- | 07-00 | मिजान:- | 02-00 |

नोट- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, वहीं दर्ज किया जावें ।

( मनोज कुमार मीणा RAS )
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण ( ब्यावर )